

आयुक्त  
मुरादाधार मण्डल  
मुरादाधार ।

सत्या मे

संग्रहीत

केन्द्रीय प्रश्नपत्रिका शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-२, समुदाय केन्द्र, ग्रीष्मि विद्यालय  
नई दिल्ली।

संख्या 1156

विषय

बालिया गलोबल एकाडेमी, नवीना बुन्दकी रोड, ग्रा.  
से सम्बद्धता हैतु, अनापति प्रमाण पत्र दिया जाना।

दिनांक पई 27 जून 2011

2011

जनीर को सी०बी०एस०ड० नई दिल्ली

四

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समग्र-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2- विद्यालय की प्रधान सामेति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होंगा।

3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के पेधावी बच्चों के लिए मुश्किल रहेंगे और उनसे उठाप्रमाणिक शिक्षा परिषद/बैरिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित गुरुके से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ रोकेण्ट्री एज्यूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उठाप्रमाणिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6- कर्मचारियों की सवा शर्त दबायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

7- राज्य सरकार द्वारा समग्र-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8- विद्यालय का रिकांड निर्धारित प्रपत्र पंजीकारों में रखा जायेगा।

9- राज्य सरकार एवं सी०वी०१००३०५०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, समग्रद्वाता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

10- उक्त विद्यालय का सचालन अनापति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित वालिया गलोबल एकाडेमी, नगीना बुन्दकी रोड, ग्राम भनोहरवाला नजीवावाद, जनपद विजनौर के सचालन हेतु ग्राम मनोहरवाला, परगना अकबराबाद, तहसील नजीवावाद, जिला ग्राम भनोहरवाला नजीवावाद, जनपद विजनौर के संचालन के संबंध में इस प्रकार विद्यालय का संचालन कुल भूमि रकवा 9310 वर्ग मीटर में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया नाम पंजीकृत करायी गई है। इस प्रकार विद्यालय का संचालन कुल भूमि रकवा 9310 वर्ग मीटर में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।  
उक्त प्रतिवर्द्धनों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवर्द्धनों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भरतीय

( डॉ गरदीप सिंह )

मण्डलायक्त ।

संख्या एवं दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि विचालित्यित को सचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- प्रातालाप निर्माणकर्ता का दृश्यमान  
सचिव, उम्प्र० सासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।  
शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
जिलाधिकारी, विजनौर।  
निरीक्षक, आग्ल भारतीय विद्यालय उम्प्र०, लखनऊ।  
संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।  
जिला विद्यालय निरीक्षक, विजनौर।  
प्रबन्धक वालिया गलावल एकाडमी, नगीना बुन्देल्ही।

मण्डलायुक्त।

( डा० गुरदीप सिंह )  
मण्डलायकता।